राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल0आर0/2513/2003/गंगानगर

1– सुखमन्दर सिंह
2– सुखवन्त सिंह } पुत्रान करतार सिंह
3– हरमेल सिंह
समस्त जाति जाट सिख, निवासी प्रताप पुरा, तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गुरुतेज सिंह
2– जसविन्द्र सिंह } पुत्रान मलकीयत सिंह
3– नक्षत्र सिंह
समस्त जाति जाट सिख, निवासी प्रताप पुरा, तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
4– राज0 सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट

एकल–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अभिषेक छाबडा, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 13.02.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 76 के अर्न्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 184/2002 शीर्षक "गुरुतेज बनाम सुखमिन्दर सिंह" में पारित निर्णय दिनांक 05–05–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 35 पी0टी0पी0 के मु0नं0 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया जाये। इकतरफा आदेश दिनांक 3–10–1992 के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त एकतरफा आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 4–3–1994 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता स्वीकृति के इकतरफा पारित किए गए आदेश की क्रियान्विति को आगामी आदेश तक स्थगित गया। प्रकरण मुॅतकिल हो कर जिला कलक्टर, गंगानगर के न्यायालय में गया और अति0 जिला कलक्टर, गंगानगर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 17–8–1996 को अदम हाजिरी में खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4, जाब्ता दीवानी के तहत प्रकरण को रैस्टोर किए जाने हेतु प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक

10–7–2002 के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 17–8–1996 को निरस्त करते हुये रास्ता स्वीकृति का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध रैस्पो0 द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 184/2002 शीर्षक "गुरुतेज बनाम सुखमिन्दर सिंह" में पारित निर्णय दिनांक 05–05–2003 के द्वारा अपील को स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 251 पर उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने आदेश दिनांक 4–11–1992 के द्वारा अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि के मु0नं0 13, 14, 15 एवं 10 में जाने के लिए मु0नं0 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा उक्त रास्ता में आई एक बिस्वा भूमि के बदले अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से 5 बिस्वा भूमि को रैस्पो0 को देने का आदेश प्रदान किया था। उक्त आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है और नामांतरकरण संख्या 61 दिनांक 4–3–1993 स्वीकृत हो चुका है और रास्ते का अमल दरामद हो चुका है तथा मौके पर रास्ता चालू है। रैस्पो0 द्वारा उस समय कोई आपत्ति नहीं की थी, अतः वे एस्टोप्ड होने से किसी प्रकार से अपील के अधिकारी नहीं रहे हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर पूर्व के आदेश दिनांक 17–8–1996 को निरस्त कर प्रकरण को रैस्टोर कर दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि रास्ता स्वीकृति का आदेश विधिवत होने से उपखण्ड अधिकारी ने उसे सही माना है। उपखण्ड अधिकारी ने विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर ही रास्ता स्वीकृति का आदेश पारित किया था। परीक्षण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में अनावश्यक रुप से प्रथम अपील में हस्तक्षेप किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को यथावत बहाल रखा जाए।

5– रैस्पो0 की ओर से योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अति0 जिला कलक्टर, गंगानगर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 17–8–1996 को **अदम हाजिरी** में खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8 प्रकरण को रैस्टोर किए जाने हेतु प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10–7–2002 के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 17–8–1996 को निरस्त करते हुये रास्ता स्वीकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8 को मियाद बाहर होते हुये, प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु से आगे बढते हुये, बिना सुनवाई किए रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 10–7–2002 पारित किया है जो कि स्पष्ट रुप से न्याय के नैसर्गिक प्रावधानों के विपरीत है। उक्त आदेश को अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–5–2003 से अपास्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 को इकतरफा आदेश दिनांक 3–10–1992 के द्वारा स्वीकार करते हुये रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त एकतरफा आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 4–3–1994 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता स्वीकृति के इकतरफा पारित किए गए आदेश की क्रियान्विति को आगामी आदेश तक स्थगित गया। प्रकरण मुॅतकिल हो कर जिला कलक्टर, गंगानगर के न्यायालय में गया और अति0 जिला कलक्टर, गंगानगर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 17–8–1996 को अदम हाजिरी में खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8, जाब्ता दीवानी के तहत प्रकरण को रैस्टोर किए जाने हेतु प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10–7–2002 के द्वारा अति0 कलक्टर के अदम हाजिरी के आदेश दिनांक 17–8–1996 को निरस्त करते हुये इसी आदेश में रास्ता स्वीकृति का निम्नानुसार आदेश पारित कर दिया जब कि प्रकरण उनके समक्ष रैस्टोर करने के सम्बन्ध में थाः–

> प्रार्थीयान/सायलान सुखमन्दरसिंह वगैरा का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8, जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जा कर आदेश दिनांक 17.8.96 निरस्त किया जाता है तथा चक 35पीटीपी के मु0नं0 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में एक एक बिस्वा कुल 5 बिस्वा रास्ता मु0नं0 13 की बट के साथ–साथ स्वीकार किया जाता है। पूर्व में रास्ता का अमल दरामद हो गया है तथा रास्ता चालू हो गया है उसे बहाल रखा जाता है।

8– विधिक प्रावधानों के अनुसार वादपत्र के खारिजे होने पर आदेश 9 नियम 4, जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार मियाद के बिन्दु को ध्यान में रखते हुये नया वाद लाया जा सकता है या खारिजी के आदेश को अपास्त किया जा सकता है। आदेश 9 नियम 8 के प्रावधानों के तहत वादी व प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वाद को खारिज किया जा सकता है और उक्त खारिजी के आदेश को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 9 के तहत आवेदन किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय ने अति0 जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.8. 1996 को करीब 6 वर्ष के बाद आदेश दिनांक 10–7–2002 से खारिज किया है जो स्पष्ट रुप से मियाद बाहर है और कारणों को भी इसमें अंकित नहीं किया गया है। यहॉ ये भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 4 व 8 की परिधि से आगे जाते हुये रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया है जो कि उचित कार्यवाही नहीं है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10. 07.2002 को निरस्त करने में और रैस्पो0 को उनके प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 8 के सम्बन्ध में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य